न्यायालय, भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, बेरमो (तेनुघाट)
छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1)(क)/(ख) के अंतर्गत
परमिशन वाद संख्या 123 वर्ष 2022

आवेदक–परमेश्वर मॉझी एवं अन्य
ग्राम – कल्याणपुर
थाना – जरीडीह जिला–बोकारो

क्रेता– विवेक कुमार महली
ग्राम – जगासुर टोला अरालडीह
थाना –जरीडीह जिला– बोकारो

आदेश की क्र0 सं0 एवं तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ।
01	02	03
06/02/23	(see order below)	C.C. Issued 14/02/23

आदेश

यह वाद आवेदकगण 01. परमेश्वर मॉझी पिता करमचंद मॉझी 02. नागेश्वर मॉझी पिता सोनाराम मॉझी 03. रामलाल मॉझी पिता ईश्वर मॉझी 04. केशर मुर्मू पिता नागेश्वर मुर्मू निवासी ग्राम कल्याणपुर थाना जरीडीह जिला –बोकारो द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 (1)(क))/(ख) के अंतर्गत निम्नांकित जमीन, विवरण निम्नवत:–

मौजा	थाना न0	खाता न0	प्लॉट न0	कुल रकबा	बिक्री रकबा	भूमि दर्जा
कल्याणपुर	81	22	980	6.26 ए0	28 डी0	कृषि योग्य

को वे अपने अपने बीमारी एवं घरेलु कार्य हेतु मो0 2,25,000/– (दो लाख पच्चीस हजार) रूपये में क्रेता– विवेक कुमार महली पिता राजपति महली निवासी ग्राम जगासुर टोला अरालडीह थाना जरीडीह जिला–बोकारो के साथ बिक्री करने की अनुमति हेतु समर्पित आवेदन के आधार पर आरम्भ किया गया तथा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1),(ख) के तहत आवेदन पत्र को पंजीकृत करते हुए आम सूचना निर्गत की गई, तथा इस कार्यालय के पत्रांक 934/रा0 दिनांक 28.09.2022 के माध्यम से अंचल अधिकारी, जरीडीह से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई।

निर्धारित अवधि तक किसी के द्वारा प्रस्तावित भूमि की अनुमति प्रस्ताव के विरूद्ध कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई। प्रस्तावित भूमि की बिक्री की अनुमति के संबंध में अंचल अधिकारी, जरीडीह के पत्रांक 67 दिनांक 31.01.2023 से वांछित जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ, जिसमें उनके द्वारा उल्लेख किया गया है कि:–

01. बिक्रेतागण एवं क्रेता दोनो संथाल जाति के सदस्य हैं जो अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत आते हैं। बिक्रेता ग्राम कल्याणपुर एवं केता ग्राम जगासुर टोला अरालडीह एवं दोनो थाना–जरीडीह जिला–बोकारो का निवासी है।
02. बिक्री की जाने वाली भूमि सर्वे खतियान में शरकार मॉझी वगैरह कौम संथाल के नाम से दर्ज है तथा जमाबन्दी शरकार मॉझी स्व0 मॉझी के नाम से पंजी–II के पृष्ठ सं0 58/2 में दर्ज है एवं लगान रसीद वर्ष 2022–2023 तक निर्गत है। बिकेता को यह भूमि आपसी बॅटवारा द्वारा हासिल है।
03. जमाबंदीधारी रैयत से बिकेतागण का संबंध परदादा–परपोता का है। बिकी वाली भूमि बिकेतागण के हक व हिस्से के अन्तर्गत आता है जिसपर बिकेता का दखल कब्जा है।
04. प्रस्तावित भूमि भू हदबन्दी, भूदान, सैरात, वन भूमि, सी0सी0एल0 अधिग्रहित क्षेत्र, से बाहर है।

उनके द्वारा बिक्रेता को प्रस्तावित भूमि की बिक्री करने की अनुमति हेतु अनुशंसा के साथ प्रतिवेदन को अग्रसारित किया गया है।

दोनों पक्ष न्यायालय में उपस्थित हुए। दोनों पक्षों का ब्यान दर्ज किया गया। बिक्रेतागण द्वारा अपने ब्यान में बतलाया गया है कि आवेदनांकित जमीन उनके पूर्वज शरकार मॉझी वगैरह के नाम सर्वे खतियान में दर्ज है तथा जमाबन्दी शरकार मॉझी स्व0 मॉझी के नाम से चल रही है। बिक्री वाली जमीन बिक्रेतागण के अपने–अपने हिस्से की है जिसे वे आवश्यकता वश बेच रहे हैं। दिनांक 06.02.2023 को बिक्रेता एवं क्रेता की ओर से एक आवेदन समर्पित किया गया है जिसमें उनके द्वारा उल्लेख किया गया है कि दोनों पक्षों के बीच 14,00000/– में जमीन बिक्री कर रहे हैं। फलस्वरूप उनके द्वारा 14,00000/– में जमीन बिक्री करने की अनुमति का अनुरोध किया गया है। क्रेता भी 14,00000/– में क्रय करने के लिए सहमत है।

क्रेता का कहना है कि उन्होंने प्रस्तावित जमीन को देखी है। उक्त जमीन में कोई विवाद नहीं है, तथा वर्तमान में आवेदक के शान्ति पूर्ण दखल कब्जे में हैं।

उभय पक्ष अपने पक्ष में निम्नांकित कागजात/दस्तावेज प्रस्तुत करते हैं:–

01. विक्रेतागण– शरकार मॉझी के नाम सर्वेखतियान की छायाप्रति, शंकर मॉझी, स्व मॉझी के नाम लगान रसीद की छायाप्रति, आवासीय प्रमाण पत्र की छायाप्रति, जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति एवं स्वयं के नाम आधार कार्ड की छायाप्रति।

02. क्रेता– जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति, आवासीय प्रमाण पत्र की छायाप्रति एवं स्वयं के नाम आधार कार्ड की छायाप्रति ।

दोनों पक्षों का ब्यान सुनने, उनके द्वारा समर्पित कागजातों एवं अंचल अधिकारी जरीडीह से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि बिक्रेतागण एवं क्रेता दोनों संथाल जाति के सदस्य हैं जो अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत आते हैं तथा बिक्रेतागण ग्राम कल्याणपुर एवं क्रेता ग्राम जगासुर टोला अरालडीह दोनों एक ही, थाना एवं जिलान्तर्गत निवासी हैं। आवेदित भूमि बिक्रेतागण के हिस्से की खतियानी जमीन है, जिसे वे आवश्यकता वश बेचना चाहते हैं।

अतः वाद आवेदकगण 01. परमेश्वर मॉझी पिता करमचंद मॉझी 02. नागेश्वर मॉझी पिता सोनाराम मॉझी 03. रामलाल मॉझी पिता ईश्वर मॉझी 04. केशर मुर्मू पिता नागेश्वर मुर्मू निवासी ग्राम कल्याणपुर थाना जरीडीह जिला–बोकारो को निम्नांकित भूमि :–

मौजा	खाता न0	प्लॉट न 0	कुल रकबा	बिक्री रकबा	उत्तर सीमा	दक्षिण सीमा	पूरब सीमा	पश्चिम सीमा
कल्याणपुर	22	980	6.26 ए0	28 डी0	श्यामलाल टुडू	सीमा देवी वगैरह	एन0एच0 सडक	शिकारी मॉझी
कुल 28 डी0 (अठाईस) डिसमिल जमीन मात्र।								

मो0 14,00,000/– (चौदह लाख रूपये) या जिला अवर निबंधक बोकारो द्वारा निर्धारित नवीनतम भूमि मूल्यांकित राशि में जो अधिक हो, की दर से क्रेता– विवेक कुमार महली पिता राजपति महली निवासी ग्राम जगासुर टोला अरालडीह थाना जरीडीह जिला–बोकारो के साथ बिक्री करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

इसके साथ ही इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। इस आदेश से उभय पक्षों को अवगत करावें।

लेखापित एवं संशोधित

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
बेरमों (तेनुघाट)।

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
बेरमों (तेनुघाट)।

Digitally signed by SADANAND MAHTO
Date: 2024.08.28 12:36:00 +05:30
Location: 192.168.1.2